भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3828

दिनांक 12 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

लघु एवं मध्यम स्तर के डेयरी एवं मछली पालक

3828. श्री छोटेलालः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि छोटे और मध्यम स्तर के डेयरी किसान और मत्स्यपालकों को बाजार में उचित मूल्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), भारत सरकार दूध की खरीद और बिक्री की कीमतों को विनियमित नहीं करता है। इनका निर्धारण सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उत्पादन लागत, सफेद मक्खन, स्किम्ड मिल्क पाउडर जैसी डेयरी वस्तुओं के स्टॉक और मौजूदा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है।

हालांकि, डीएएचडी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए देश भर में निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM): आरजीएम का कार्यान्वयन देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया जाता है।

2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): एनपीडीडी का कार्यान्वयन निम्नलिखित 2 घटकों के साथ किया जाता है:

(i) एनपीडीडी का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों/स्वयं सहायता समूहों (SHG)/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) एनपीडीडी योजना के घटक 'ख' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करके दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना है।

मार्च 2025 तक, देश में 243 दुग्ध संघ कार्यरत हैं और ये दुग्ध संघ भारत में लगभग 2.11 लाख संगठित डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 620 लाख किलोग्राम दूध की खरीद कर रहे हैं। देश में लगभग 1.7 करोड़ किसान, डेयरी सहकारी नेटवर्क से जुड़े हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे और सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूर हैं।

देश की डेयरी सहकारी समितियों ने ग्राम स्तर पर दूध खरीद के लिए अवसंरचना तैयार की है। ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों ने दूध खरीद तंत्र विकसित किया है, जिसके तहत किसानों को दूध की गुणवत्ता (वसा/एसएनएफ) के आधार पर मूल्य का भुगतान किया जाता है। ग्राम स्तर पर नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करके डेयरी सहकारी समितियों के दायरे का विस्तार करने से किसानों की संगठित बाजारों तक पहुँच में सुधार होता है और इस प्रकार सदस्य किसान की आर्थिक भलाई होती है।

3. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहायता (SDCFPO): राज्य डेयरी सहकारी संघों को गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और समय पर भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके सहायता प्रदान करना।

4. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): एएचआईडीएफ पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान होती है।

5. भारत सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा का विस्तार किया है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह, जिनमें स्वामित्व/किराए/पट्टे पर शेड वाले किरायेदार किसान भी शामिल हैं, इस योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

6. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): उद्यमिता विकास के लिए व्यक्ति, एफपीओ, एसएचजी, धारा 8 कंपनियों और नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करके पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारा में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर सघन ध्यान केंद्रित करना।

7. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP): इसका उद्देश्य पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है ताकि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।

ये योजनाएँ दुग्ध उत्पादन और बोवाइन पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, डेयरी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, चारे की उपलब्धता बढ़ाने और पशु स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में मदद कर रही हैं। ये पहले दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने और छोटे एवं मध्यम स्तर के डेयरी किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।

मत्स्यपालन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत का मत्स्यपालन क्षेत्र उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2023-24 में इसमें 184.02 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया है और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में यह लगभग 8% का योगदान दे रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों, जैसे नीली क्रांति योजना, मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना (PMKSSY), के माध्यम से 38,572 करोड़ रुपये के संचयी निवेश के साथ मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। सुधारों, नीतियों और योजनाओं के माध्यम से सरकारों के ठोस प्रयासों और मछुआरों, मत्स्यपालकों और अन्य हितधारकों के प्रयासों ने मत्स्यपालन और जलीय कृषि के समग्र विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है विशेष रूप से (i) वार्षिक मछली उत्पादन वर्ष 2019-20 में में 141.64 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 184.02 लाख टन हो गया, (ii) मत्स्य निर्यात वर्ष 2019-20 में 46,662.85 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 60,524.89 करोड़ रुपये का हो गया, (iii) प्रति व्यक्ति मछली की खपत 5-6 किलोग्राम से बढ़कर 12-13 किलोग्राम हो गई और (iv) जलीय कृषि उत्पादकता 3 टन / हेक्टेयर से बढ़कर 4.7 टन प्रति हेक्टेयर हो गई। देश अब अंतर्देशीय कैप्चर मछली उत्पादन में प्रथम स्थान, कल्चर झींगा निर्यात में प्रथम स्थान, जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान, समग्र मछली उत्पादन में दूसरे स्थान, समग्र कैप्चर मछली उत्पादन में चौथे स्थान, समुद्री कैप्चर मछली उत्पादन में छठे स्थान और मत्स्य उत्पादों के निर्यात में छठे स्थान पर है।

मछुआरों के लिए उचित और आय सुनिश्चित करने के लिए, पीएमएमएसवाई ने 1654.51 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मछली परिवहन सुविधाओं की 27189 इकाइयों (रेफ्रिजरेटेड वाहन, इंसुलेटेड वाहन, दो पहिया/तीन पहिया वाहन), 21 अत्याधुनिक थोक मछली बाजार, 202 मछली खुदरा बाजार, 6694 मछली कियोस्क और मछली और मत्स्य उत्पादों के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए 5 ई-प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। मछुआरों और मत्स्यपालकों को वास्तविक समय में और सटीक मूल्य की जानकारी प्रदान करने और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए, विभाग ने राष्ट्रीय मात्सियकी विकास बोर्ड (NFDB) के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान 'मछली बाजार मूल्य सूचना प्रणाली' (FMPIS) शुरू की है ताकि 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 111 थोक और खुदरा मछली बाजारों से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों के मछली बाजार मूल्यों को प्राप्त किया जा सके और उनका प्रसार किया जा सके। इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य एक डिजिटल मंच प्रदान करना और पारंपरिक मछुआरों, मत्स्यपालकों के उत्पादक संगठनों और मत्स्यपालन क्षेत्र के उद्यमियों सहित सभी हितधारकों को ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से अपने उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए सशक्त बनाना है।

***